उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-16/2018/एस-2-82/दस-2017-88क(6)/2017

लखनऊ :: दिनॉक:: 09 फरवरी, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के अधिकारी श्री विनोद कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर को एतदद्वारा उनके अपने कार्य के साथ-साथ वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होगें।

2- श्री विनोद कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

हरिश्चन्द्र

उप सचिव।

<u>संख्या-16/2018/एस-2-82(1)/दस-2018-88क(6)/2017, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

2- कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर ।

3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

6- श्री विनोद कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)

उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।